

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-२, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- ०८ए/१६

संस्थापन दिनांक:-२८/०३/११

फाईलिंग नं. २३३५०४००००२२०११

हुकुमलाल पिता मौजीलाल साहू
 उम्र ८० वर्ष, निवासी इटावा,
 तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)

..... वादी

वि रू द्ध

१. श्रीमती दुर्गाबाई पति टरू साहू, उम्र ५५ वर्ष
 २. टरू पिता बिरजा साहू, उम्र ६० वर्ष
 दोनों निवासी हरन्या,
 तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- प्रतिवादीगण

—: (निर्णय) :—

(आज दिनांक २२.०९.२०१६ को घोषित)

१ वादी द्वारा यह दावा उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की तहसील आमला, जिला बैतूल स्थित भूमि ख.नं. १६८/१ रकबा ०.६५३ आरे में से प्रतिवादी क्र. १ दुर्गाबाई को विक्रय की गयी भूमि रकबा ०.०१२ आरे भूमि के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित वादी की शेष भूमि पर निर्मित आंगन एवं बाथरूम जिसे वाद पत्र संलग्न नक्शे में अ, ब, स, ड, ई से दर्शाया गया है, (अत्र पश्चात विवादित भूमि) के रिक्त आधिपत्य एवं विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

२ दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि ख.नं. १६८/१ रकबा ०.६५३ आरे तहसील आमला जिला बैतूल में स्थित है। वादी द्वारा ख.नं. १६८/१ रकबा ०.६५३ में से अन्य लोगों को विक्रय करने के अलावा प्रतिवादी क्र. १ दुर्गाबाई को ०.०१२ आरे दिनांक ०६.१२.१९९४ को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की गयी थी जिसे कि वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में क, ख, ग, घ से रेखांकित किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा क्रय की गयी विवादित भूमि पर मकान निर्माण करने के बाद वादी की शेष भूमि पूर्व पश्चिम ८x३६ तथा उत्तर दक्षिण ८x४० वर्गफुट पर माह सितम्बर २००७ में अतिक्रमण कर बाथरूम एवं आंगन बना लिया है जिसे वाद संलग्न नक्शे में अ, ब, स, ड, ई से दर्शाया गया है। वादी के द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा उनकी भूमि

पर किये गये निर्माण कार्य को हटाये जाने हेतु तहसील न्यायालय में दिनांक 29.09.2007 को आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन पर तहसीलदार आमला द्वारा दिनांक 30.09.2010 को आदेश पारित कर क्षेत्राधिकार न होने के आधार पर वादी का आवेदन निरस्त कर दिया गया परंतु तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में तहसीलदार ने प्रतिवादीगण द्वारा कय की गयी भूमि पर बनाये गये मकान के उत्तर दिशा में 8x36 वर्गफुट तथा पश्चिम दिशा में 8x40 वर्गफुट विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर आंगन एवं बाथरूम बनाकर कब्जा किया जाना पाया। इसके बाद भी क्षेत्राधिकार का आधार लेकर वादी का आवेदन तहसीलदार के द्वारा निरस्त कर दिया गया इसलिए वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत कर वाद संलग्न नक्शे में वादी की भूमि के अ, ब, स, ड, ई से दर्शित विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा निर्मित बाथरूम एवं आंगन को तोड़कर रिक्त आधिपत्य दिलाये जाने एवं उक्त भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप से निषेधित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

3 प्रकरण में प्रतिवादीगण के जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने की अवस्था पर अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध दिनांक 12.01.2012 को उनकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

4 प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

1. क्या वादी ख.नं. 168/1 रकबा 0.653 आरे ग्राम हरन्या तहसील आमला जिला बैतूल का स्वामी है ?
2. क्या प्रतिवादीगण द्वारा ख.नं. 168/1 रकबा 0.653 आरे का जुज रकबा 0.012 आरे वादी से कय किये जाने के बाद वादी की उत्तर व पश्चिम दिशा में स्थित शेष भूमि जिसे वाद संलग्न नक्शे में अ, ब, स, ड, ई से रेखांकित किया गया है, पर निर्माण कार्य कर कब्जा किया गया है ?
3. सहायता एवं व्यय ?

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्र. 1 का निराकरण

5 वादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र के पैरा क्र. 01 में यह प्रकट किया गया है कि सर्वे क्र. 168/1 रकबा 0.653 आरे वादी के स्वत्व की भूमि है। साथ ही पैरा क्र. 02 में यह भी अभिवचन किया है कि उपर्युक्त भूमि

अन्य लोगों को विक्रय करने के अलावा प्रतिवादी दुर्गाबाई को 0.012 आरे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.12.1994 द्वारा बेची गयी थी।

6 वादी द्वारा 168/1 रकबा 0.653 आरे के स्वत्व के संबंध में केवल भू-अधिकार ऋण पुस्तिका (प्रदर्श प्री-4) प्रस्तुत की गयी है, जिस पर वादी हुकुमलाल के अतिरिक्त अन्य लोगों के भी नाम लेख है जिन्हें वादी द्वारा अपनी भूमि विक्रय की गयी थी। वादी द्वारा आवेदन किये जाने पर न्यायालय के माध्यम से आहूत साक्षी पटवारी अजय धुर्वे (वा.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि ख.नं. 168/1 के मूल स्वामी हुकुमलाल की ऋण पुस्तिका पर हुकुमलाल के अतिरिक्त मूल खसरे अनुसार कई व्यक्तियों के नाम लेख हैं। साथ ही उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि वह आज विवादित भूमि के अधिकार अभिलेख व किशतबंदी खतौनी साथ लेकर नहीं आया है।

7 वादी की ओर से अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि तहसील न्यायालय में अतिक्रमण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन के जवाब (प्रदर्श प्री-2) में प्रतिवादीगण ने यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी 168/1 रकबा 0.653 आवेदक/हुकुमलाल की है। अतः स्वत्व प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। साथ ही वादी के द्वारा न्याय दृष्टांत **अहमद साहेब विरुद्ध शेख इस्माईल 2012(4) एम.पी.एल.जे. 571** प्रस्तुत किया गया है जिससे न्यायालय मार्गदर्शन प्राप्त करती है परंतु हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियां भिन्न होने से वादी को उक्त न्याय दृष्टांत का लाभ प्राप्त नहीं होता है। साथ ही उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय का यह मत है कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकृति किये जाने मात्र से किसी संपत्ति का स्वत्व प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

8 वादी ख.नं. 168/1 रकबा 0.653 के संबंध में राजस्व अभिलेख खसरा, किशतबंदी खतौनी एवं अधिकार अभिलेख प्रस्तुत कर सकता था जो कि उसके द्वारा नहीं किया गया। वादी द्वारा ख.नं. 168/1 रकबा 0.653 आरे में से जुज रकबा प्रतिवादीगण के अलावा अन्य कई व्यक्तियों को विक्रय किया गया है। ऐसी दशा में वर्तमान में वह ख.नं. 168/1 के कितने क्षेत्रफल का स्वामी है, कितना शेष बचा है, इस हेतु उसे राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करना चाहिए था। अतः ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दृष्टांत (छ) के अनुसार उपधारणा की जायेगी।

9 वादी द्वारा प्रतिवादीगण को बेची गयी भूमि के उत्तर व पश्चिम दिशा में अपनी शेष भूमि होना बताया गया है। साथ ही विवादित भूमि ख.नं. 168/1 रकबा 0.653 का जुज रकबा कई व्यक्तियों को विक्रय किया जाना बताया गया है। तब ऐसी स्थिति में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि वादी यह बताये कि प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण की गयी भूमि वादी के हक, हिस्से व

स्वामित्व की है एवं साथ ही वाद संलग्न नक्शे में अ, ब, स, ड, ई से रेखांकित भाग पर जिस समय प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया जाना बताया गया है उस समय वादी का उक्त भूमि पर आधिपत्य था। उपर्युक्त के संबंध में वादी के द्वारा कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे कि वादी का वाद संलग्न नक्शे में रेखांकित भाग अ, ब, स, ड, ई पर स्वत्व माना जाये। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **विष्णुकरण एवं अन्य विरुद्ध अजुदीबाई २००४(३)एम.पी.एल.जे. २५** अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि स्वामित्व का तथ्य ठोस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने पर ही स्वामित्व प्रमाणित माना जा सकता है। मात्र भू-अधिकार ऋण पुस्तिका के आधार पर विवादित आराजी १६८/१ रकबा ०.६५३ पर स्वत्व प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क्र. ०२ का निराकरण

१० वादी द्वारा वादपत्र के पैरा क्र. ०२ में यह अभिवचन किया गया है कि उसके स्वत्व की भूमि १६८/१ रकबा ०.६५३ आरे में से ०.०१२ आरे प्रतिवादीगण को दिनांक ०६.१२.१९९४ को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से बेची गयी थी, परंतु प्रतिवादी द्वारा उसे विक्रय की गयी भूमि के उत्तर, पश्चिम दिशा में स्थित विक्रेता अर्थात् वादी की शेष भूमि ८X३६(पूर्व पश्चिम) व ८X४० (उत्तर दक्षिण) पर अतिक्रमण कर आंगन व बाथरूम का निर्माण कर लिया गया है जिसे वाद संलग्न नक्शे में अ, ब, स, ड, ई से दर्शाया गया है।

११ वादी द्वारा यह भी अभिवचन किया गया है कि जब प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि पर कब्जा किया तो उसके द्वारा लहसीलदार के समक्ष दिनांक २९.०९.२००७ को आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर से राजस्व न्यायालय द्वारा मौके की जांच व सीमांकन राजस्व निरीक्षण से करवाया गया तथा दिनांक ३०.०९.२०१० को तहसीलदार आमला द्वारा क्षेत्राधिकार न होने के कारण आवेदन निरस्त किया गया परंतु उक्त आदेश में तहसीलदार ने ख.नं. १६८/१ में से प्रतिवादीगण द्वारा क़य की गयी भूमि रकबा ०.०१२ आरे के उत्तर दिशा में ८X३६ व पश्चिम दिशा पर ८X४० वर्गफुट विवादित भूमि पर उनका अतिक्रमण पाया था।

१२ वादी द्वारा अपने अभिवचन के समर्थन में प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक ०६.१२.१९९४ (प्रदर्श प्री-१) प्रस्तुत किया गया है जिसकी वर्णित चौहद्दी अनुसार विक्रय की गयी भूमि के उत्तर व पश्चिम में विक्रेता अर्थात् वादी की शेष भूमि होना दर्शित हो रही है तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक ३०.०९.२०१० (प्रदर्श प्री-३) प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन

से यह दर्शित है कि तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी द्वारा कय जमीन 0.012 आरे के अतिरिक्त शेष जमीन पर 8X36 व 8X40 उत्तर पश्चिम दिशा पर कब्जा कर बाथरूम निर्माण कार्य पाया गया। उपर्युक्त आदेश के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी थी।

13 तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.09.2010 वादी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है परंतु जिन दस्तावेजों के आधार पर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है वे दस्तावेज अर्थात् मौका पंचनामा व विवादित स्थल का नक्शा ट्रेस सीमांकन रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यद्यपि वादी द्वारा उक्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने का यह कारण तर्क के दौरान बताया गया है कि उन्हें यह दस्तावेज तहसील कार्यालय से कई बार प्रयास किये जाने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाये। यद्यपि वादी द्वारा तहसील न्यायालय से सीमांकन दस्तावेज प्राप्त न होने पर न्यायालय में विवादित स्थल के निरीक्षण हेतु कमिश्नर नियुक्त किये जाने के लिए आवेदन किया गया था जो कि न्यायालय द्वारा स्वीकार कर कमिश्नर नियुक्त किये जाने का आदेश किया गया था परंतु उक्त आदेश के परिपालन में वादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी वादी द्वारा न तो वाद पत्र एवं सुसंगत दस्तावेजों की नकलें और न ही कमिश्नर शुल्क अदा किया गया जिससे वाद में कार्यवाही अग्रसर की गयी। अतः ऐसी दशा में भी उसके विरुद्ध उपधारणा की स्थिति निर्मित होती है।

14 तहसीलदार द्वारा सीमांकन आदेश दिनांक 30.09.2010 (प्रदर्श प्री-3) जिन दस्तावेजों के आधार पर किया गया है, वे दस्तावेज न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। सीमांकन कार्यवाही में प्रतिवादीगण एकपक्षीय रहे हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 2007 में उसकी भूमि पर अतिक्रमण करना बताया गया है। प्रकरण में वर्ष 2007 के तथा वर्तमान के ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं जिससे यह दर्शित हो कि प्रतिवादीगण द्वारा उसकी जिस भूमि के जुज रकबे पर अतिक्रमण किया गया वह उसके आधिपत्य या स्वत्व की रही हो। तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.09.2010 (प्रदर्श प्री-3) से भी यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादीगण द्वारा उत्तर पश्चिम दिशा में वादी की जिस भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बताया जा रहा है वह वादी के स्वत्व व आधिपत्य की थी।

15 मिश्रीलाल (वा.सा.-3) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया जाना बताया है। साथ ही यह बताया है कि विवादित भूमि उसके खेत के किनारे से ही लगी है। यदि विक्रय पत्र (प्रदर्श प्री-1) का अवलोकन किया जाये तो प्रतिवादी द्वारा कय की गयी जमीन से प्रेमवती व ओझा की भूमि लगी होना दर्शित हो रही है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी विवादित भूमि का पड़ोसी काश्तकार दर्शित नहीं हो रहा

है। ऐसी स्थिति में कब्जे एवं अतिक्रमण के संबंध में जबकि तहसीलदार के आदेश के द्वारा ही प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया गया है। उक्त साक्षी की साक्ष्य से अतिक्रमण या कब्जे के संबंध में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। सुरेश (वा.सा.-४) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में विवादित भूमि का सीमांकन अपने समक्ष होना बताया है परंतु अभिलेख पर मौका पंचनामा नहीं है जिससे यह पता चले कि उक्त साक्षी सीमांकन कार्यवाही में मौके पर उपस्थित था। साथ ही तहसीलदार के आदेश के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया, प्रमाणित नहीं पाया गया है। तब ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी की मौखिक साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

16 वादी द्वारा इस आधार पर दावा लाया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उन्हें विक्रय की गयी भूमि ०.०१२ आरे के अतिरिक्त वादी की उत्तर व पश्चिम दिशा में स्थित विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। तब ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण की ०.०१२ आरे भूमि के उत्तर तथा पश्चिम दिशा में स्थित वादी के ख.नं. १६८/१ का शेष रकबा कितना था तथा उसका कितना रकबा अतिक्रमण कर कम कर दिया गया, यह सीमांकन आदेश से स्पष्ट नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में मात्र तहसीलदार के आदेश से प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया जाना नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क्र. ०३ का निराकरण

17 गजराज सिंह विरुद्ध रामसिंह २००६ रा.नि. २१८ में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कब्जे के प्रत्यावर्तन के लिए वादी में वादी को सर्वप्रथम विवादित भूमि पर अपना स्वामित्व प्रमाणित करना होता है। स्वामित्व प्रमाणित न करने की दशा में वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में वादी ख.नं. १६८/१ रकबा ०.६५३ आरे में अपना स्वामित्व प्रमाणित करने में विफल रहा है। साथ ही वादी के द्वारा वादपत्र के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है वह मात्र विवादित तथ्य को समझाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वह राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा नहीं बनाये गये हैं जिससे धारा ८३ साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है। वादी के द्वारा विवादित भूमि का कोई नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे विवादित भूमि की पहचान सुनिश्चित हो।

18 वादी द्वारा न्याय दृष्टांत सुभागा विरुद्ध शोभा २००७(१) एम. पी.एल.जे. २२१ पेश किया है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि संपत्ति की पहचान चतुर्सीमा द्वारा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट विवरण द्वारा की जा सकती है। साथ ही वादी द्वारा न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में विक्रय पत्र (प्रदर्श प्री-१) का

विवादित संपत्ति की पहचान हेतु आधार लिया गया है। परंतु न्यायालय के मत में वादी के द्वारा ख.नं. 168/1 रकबा 0.653 आरे प्रतिवादीगण के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों को भी विक्रय किया जाना बताया गया है। तब ऐसी स्थिति में उक्त न्याय दृष्टांत का लाभ वादी को प्राप्त नहीं होता है। अतः विवादित भूमि की स्थिति सुस्पष्ट न होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा की कोई सहायता वादी को नहीं दी जा सकती। साथ ही वादी द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 168/1 रकबा 0.653 आरे पर अपना स्वत्व प्रमाणित नहीं किया जा सका है। ऐसी स्थिति में वादी संलग्न नक्शा अ, ब, स, ड, ई से रेखांकित भाग के रिक्त आधिपत्य की सहायता नहीं दी जा सकती। परिणामतः वाद खारिज किया जाता है तथा निम्न आशय का आदेश एवं आज्ञा पारित की जाती है :-

1. वादी प्रतिवादी से वादपत्र में संलग्न नक्शे में दर्शित अ, ब, स, ड, ई से रेखांकित भाग को जिस पर प्रतिवादीगण ने आंगन व बाथरूम बना लिया है, को तोड़कर रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
2. वादी वाद संलग्न नक्शा में रेखांकित भाग अ, ब, स, ड, ई पर उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी करा पाने का अधिकारी नहीं है।
3. वादी अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगा।
4. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्च में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञापित तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

GRPI-241-70M-11-82

II-302
C.J.(E)

हुकुमलाल पिता मौजीलाल साहू
उम्र ८० वर्ष, निवासी इटावा,
तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)वादी।

बनाम

१. श्रीमती दुर्गाबाई पति टरू साहू उम्र ५५ वर्ष
२. टरू पिता बिरजा साहू उम्र ६० वर्ष
दोनों निवासी हरन्या,
तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)प्रतिवादीगण।

DECREE IN ORIGINAL SUIT**(FINAL DECREE)**

(Code of Civil Procedure 1908, Order XX, Rule 6 and 7)

Civil Suit No.08A/2016

THE COURT OF अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-२, आमला जिला बैतूल
Plaintiff

Claim for दावा वास्ते कब्जा तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु । Defendant

This suit coming on this day for final disposal before me in the presence of

(For the plaintiff) Shri वादी द्वारा श्री ब्रजेश सोनी अधिवक्ता।

(For the defendant) एकपक्षीय।

It is ordered and decreed that - वादी का वाद खारिज किया जाता है तथा निम्न आशय का आदेश एवं आज्ञा पारित की जाती है :-

१. वादी प्रतिवादी से वादपत्र में संलग्न नक्शे में दर्शित अ, ब, स, ड, ई से रेखांकित भाग को जिस पर प्रतिवादीगण ने आंगन व बाथरूम बना लिया है, को तोड़कर रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
२. वादी वाद संलग्न नक्शा में रेखांकित भाग अ, ब, स, ड, ई पर उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी करा पाने का अधिकारी नहीं है।
३. वादी अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगा।
४. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश १७९ सहपठित नियम ५२३ के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

defendant and that the sum of Rs. वादी अपने वाद व्यय स्वयं वहन करेगा।

Be paid by the -----

Plaintiff

defendant

Be paid by the -----
Plaintiff

on account of costs of his suit, with interest there on at the rate of nil percent

per annum from this date or realization

Given under my hand the seal of the Court this 22/09/2016 day of 2016

Judge

COSTS OF SUITS

Plaintiff			Defendant		
1. Stamp for plaint	220=	00	1. Stamp for power	---	—
2. Stamp for application & affidavit	40=	00	2. Stamp for exhibits आवेदन	---	—
3. Stamp for power	20=	0	3. Stamp for petitions	—	—
4. Stamp for exhibits	00=	0	4. Pleader's fees प्रमाणपत्र पेश नहीं।	—	—
5. Pleader's fee on Rs. प्रमाणपत्र पेश नहीं।	—	—	5. Subsistence for witness	—	—
6. Subsistence on witness	—	—	6. Service of process	—	—
7. Commission's fee	—	—	7. Commissioner's	—	—
8. Service of process	15=	00		—	—
Total....	295=	00	Total....	---	--